संख्या: 59 /2022/ 310 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 15 मार्च, 2022

विषय: स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, शाहजहॉपुर के निर्मित भवन की आन्तरिक सज्जा व गैलरी निर्माण के अवशेष कार्य पूर्ण किये जाने हेतु तृतीय किश्त की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के पत्र संख्या: 1079/नौ-116/2021-22, दिनांक 26 फरवरी, 2022 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-216/2021/2270/चार-2021 दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 द्वारा स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, शाहजहॉपुर के निर्मित भवन की आन्तरिक सज्जा व गैलरी निर्माण के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु रू0 70,96,980.00 की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, शाहजहॉपुर के निर्मित भवन की आन्तरिक सज्जा व गैलरी निर्माण के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू0 21,29,094.00 (रूपये इक्कीस लाख उनतिस हजार चौरानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1 शासनादेश संख्या- 216/2021/2270/चार-2021 दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 तथा शासनादेश संख्या- 16/2022/79/चार-2022 दिनांक 25 जनवरी, 2022 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

(2) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर(जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) निदेशक, राजकीय अभिलेखागार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, राजकीय अभिलेखागार का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, राजकीय अभिलेखागार द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, राजकीय अभिलेखागार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, राजकीय अभिलेखागार का होगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय-13-शाहजहॉपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं का निर्माण-24 वृहद निर्माण कार्य मद से वहन किया जायेगा।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 21,29,094.00 (रूपये इक्कीस लाख उनतिस हजार चौरानवे मात्र) आहरित कर मे0 स्टार एण्ड मेरिट इंटीरियर्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त से संबंधित समस्त कार्य निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ द्वारा कराया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृति प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 59 /2022/ 310 (1) /चार-2022 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in